



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

वेबसाइट: <https://www.sggvscg.ac.in> पोर्टल: <https://www.sggcg.in>

क्रमांक : ४३५.../परीक्षा/पात्रता/2026-27
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक : 01/07/2026
- 1 JUL 2026

1. प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय:- विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों/प्रोग्राम में सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु दिशा-निर्देश।

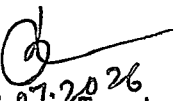
सन्दर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

उपर्युक्त विषय के संबंध में लेख है कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर के विभिन्न शिक्षण विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुमति एवं इस विश्वविद्यालय से जारी संबद्धता आदेश के अनुसार संचालित विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों/प्रोग्राम में सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

01. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है

(अ) (अ) स्नातक उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु

- i. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड, CBSE, ICSE एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- ii. Council of Boards of School Education in India (COBSE) की सूची में सम्मिलित बोर्डों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- iii. छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण अथवा प्रोन्नत विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर में प्रवेश लेने/परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु (इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक - 55, विनियम क्रमांक - 13 और छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग और इस विश्वविद्यालय द्वारा NEP के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार) पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।


Assistant Registrar (Examination)
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja
Ambikapur, Chhattisgarh

(ब) स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा अधिनियमित राजकीय विश्वविद्यालयों, स्वशासी महाविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को **स्नातकोत्तर स्तर/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के प्रथम सेमेस्टर** में प्रवेश हेतु/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

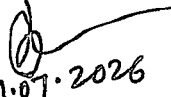
02. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी

(अ) स्नातक उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर तथा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड, CBSE, ICSE एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से भिन्न किसी भी अन्य बोर्ड/कौंसिल/परिषद् आदि से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।
2. Council of Boards of School Education in India (COBSE) की सूची <https://www.cobse.org.in/recognized-educational-boards-list/> में सम्मिलित बोर्ड/कौंसिल/परिषद् से भिन्न किसी भी अन्य बोर्ड/कौंसिल/परिषद् आदि से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर में अथवा आगामी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा न्यूनतम क्रेडिट अर्जित नहीं करने वाले अथवा प्रोन्नत नहीं होने वाले विद्यार्थियों (इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक – 55, विनियम क्रमांक – 13 और छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग और इस विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार) को पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अधिनियमित राजकीय विश्वविद्यालयों से भिन्न अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों, स्वशासी महाविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से अधूरे पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए प्रवेश हेतु/परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा।
5. वार्षिक परीक्षा प्रणाली से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अथवा पुराने सेमेस्टर परीक्षा पद्धति से नवीन/CBCS/NEP परीक्षा पद्धति में परिवर्तन की स्थिति में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(ब) स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अधिनियमित राजकीय विश्वविद्यालयों से भिन्न अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों, स्वशासी महाविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को **स्नातकोत्तर स्तर/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के प्रथम/तृतीय सेमेस्टर** में प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।


01.01.2026
Assistant Registrar (Examination)
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja
Ambikapur, Chhattisgarh

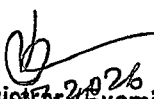
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अधिनियमित राजकीय विश्वविद्यालयों से भिन्न अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों, स्वशासी महाविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से अधूरे पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अथवा अधूरे पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश/परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा।
4. वार्षिक परीक्षा प्रणाली से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अथवा पुराने सेमेस्टर परीक्षा पद्धति से नवीन/CBCS/NEP परीक्षा पद्धति में परिवर्तन की स्थिति में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। वार्षिक परीक्षा प्रणाली/पुराने परीक्षा पद्धति वाले परीक्षार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अथवा नवीन/CBCS/NEP परीक्षा पद्धति में परिवर्तन की स्थिति में पुनः प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेना और परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी पाठ्यक्रम/प्रोग्राम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन के अनुसार N+2 होगी। यदि संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में पाठ्यक्रम/प्रोग्राम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि का उल्लेख है, तो वह प्रभावी होगा। अवधि की गणना प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के वर्ष/सत्र से गणना प्रारंभ किया जाएगा।
उदाहरण के लिए : N = पाठ्यक्रम/प्रोग्राम की अवधि, +2 = 2 अतिरिक्त वर्ष/सत्र

03. महत्वपूर्ण निर्देश

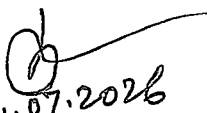
पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से जारी किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के विभागाध्यक्ष पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे।

04. पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया

1. पात्रता प्रमाण-पत्र का आवेदन प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट/पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदक विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन भी कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। आवेदक आवेदन भरकर सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर निर्धारित शुल्क जमा करने की पावती/रसीद सहित विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करेंगे।
2. आवेदन प्राप्त होने की तिथि से न्यूनतम 07 दिवस तथा अधिकतम 30 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि आवेदक पात्र ही हो।
3. आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में सीट रिक्त हो तथा आवेदन पूर्ण हो। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
4. पात्रता हेतु आवेदन के साथ कक्षा 10वीं से लेकर पूर्व में उत्तीर्ण सभी वर्ष/सेमेस्टर की अंकसूचियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अंकसूचियों में पूर्णांक एवं प्राप्तांक, ग्रेड, क्रेडिट अंक आदि स्पष्ट अंकित होना चाहिए।


 Assistant Registrar (Examination)
 Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja
 Ambikapur, Chhattisgarh

5. यदि अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर के विषय, पूर्णांक एवं प्राप्तांक, ग्रेड, क्रेडिट अंक आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी इसकी जांच उपरांत ही आवेदन अग्रेषित करेंगे।
6. शिक्षा संकाय के अंतर्गत विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु बी.एड., एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण NCTE एवं SCERT, स्कूल शिक्षा विभाग आदि द्वारा निर्धारित मापदण्डों और प्रवेश नियम, संबंधित पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के अध्यादेश के आधार पर किया जाएगा।
7. विधि संकाय के अंतर्गत विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु पात्रता का निर्धारण BCI एवं उच्च शिक्षा विभाग आदि द्वारा निर्धारित मापदण्डों और प्रवेश नियम, संबंधित पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के अध्यादेश के आधार पर किया जाएगा।
8. फार्मसी अंतर्गत विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/प्रोग्राम हेतु पात्रता का निर्धारण PCI एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आदि द्वारा निर्धारित मापदण्डों और प्रवेश नियम, संबंधित पाठ्यक्रम/प्रोग्राम के अध्यादेश के आधार पर किया जाएगा।
9. **नियमित विद्यार्थियों हेतु** प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद या प्रवेश देने के बाद पात्रता प्रमाण पत्र के लिए विलंब से प्राप्त आवेदन पर 500.00 रुपये की दर से पेनाल्टी की राशि जमा करना होगा। नामांकन के लिए आवेदन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद पात्रता प्रमाण पत्र के लिए विलंब से प्राप्त आवेदन पर 1000.00 रुपये पेनाल्टी की राशि जमा करना होगा। यदि पात्रता प्रमाण पत्र के बिना ही महाविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश दे दिया जाता है या यदि पात्रता प्रमाण पत्र के बिना ही महाविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र/छात्रा का नामांकन करा लिया जाता है या परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध प्रति छात्र/छात्रा 10000.00 रुपये की दर से पेनाल्टी की राशि जमा करना होगा। यदि अपात्र छात्र/छात्रा को प्रवेश दे दिया जाता है या नामांकन करा लिया जाता है या परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रवेश निरस्त करना होगा, नामांकन एवं परीक्षा आवेदन भी निरस्त करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम रोक दिया जायेगा या निरस्त कर दिया जायेगा। समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा और प्राचार्य की होगी।
10. **स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए** परीक्षा आवेदन भरने/जमा करने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर निर्धारित पेनाल्टी लागू होगी, जो कि निम्नानुसार है :- नामांकन के लिए आवेदन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद पात्रता प्रमाण पत्र के लिए विलंब से प्राप्त आवेदन पर 500.00 रुपये की दर से पेनाल्टी की राशि जमा करना होगा। नामांकन के लिए आवेदन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद पात्रता प्रमाण पत्र के लिए विलंब से प्राप्त आवेदन पर 1000.00 रुपये पेनाल्टी की राशि जमा करना होगा। यदि पात्रता प्रमाण पत्र के बिना ही महाविद्यालय द्वारा किसी भी स्वाध्यायी परीक्षार्थी को नामांकन एवं परीक्षा आवेदन अग्रेषित किया जाता है या परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध प्रति छात्र/छात्रा 10000.00 रुपये की दर से पेनाल्टी की राशि जमा करना होगा। यदि अपात्र स्वाध्यायी परीक्षार्थी का नामांकन करा लिया जाता है या परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाता है तो संबंधित परीक्षार्थी का नामांकन एवं परीक्षा आवेदन भी निरस्त करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम रोक दिया जायेगा या निरस्त कर दिया जायेगा। समस्त जिम्मेदारी संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थी की होगी।
11. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल प्रवेश के लिए या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम अर्हता रखने वाले विद्यार्थियों के पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ही अग्रेषित किए जाएँ।


 07.2026
 Assistant Registrar (Examination)
 Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja
 Ambikapur, Chhattisgarh

12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के सभी प्रावधानों और इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक – 55, विनियम क्रमांक – 13 और छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग और इस विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर NEP के क्रियान्वयन के संबंध में जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उक्त निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)



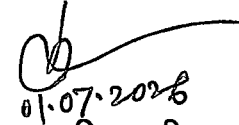
कुलसचिव

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक : 836 /परीक्षा/पात्रता/2026-27
प्रतिलिपि:-

अम्बिकापुर, दिनांक : 01/07/2026
-1 JUL 2026

1. कुलपति के निज सहायक/निज सचिव, को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित.
2. वित्त अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित.
3. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)/ओ.एस.डी. (अकादमिक/गोपनीय), संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित.
4. कार्यालयीन प्रति/विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु.



01.07.2026

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

Assistant Registrar (Examination)
Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja
Ambikapur, Chhattisgarh